

मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 5218-5 जी0 [एस0 I-77/22425 दिनांक 12 अगस्त, 1977 की प्रति।

विषय :- स्थानान्तरण नीति में परिवर्तन।

मुझे निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 4983-5 जी0 एस0 I-77/21309, दिनांक 2 अगस्त, 1977 की ओर दिलाऊँ जिन द्वारा हरियाणा राज्य में बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गुड़गांव, रोहतक, महेन्द्रगढ़, सोनीपत तथा कुरुक्षेत्र जिलों में कुछ विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण 15 अगस्त, 1977 तक स्थगित किए गए हैं। सरकार ने मामले पर और विचार करके निर्णय किया है कि यह हिदा विकासयतों एवं पंचायत विभाग पर भी लागू होगी।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि सरकार की उपरोक्त हिदायतों की पूर्णता से पालना की जाए।

भवदीय,
हस्त/-

उप सचिव, सामान्य प्रशासन
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।